मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः 25.12.2024

अवैध/अपमिश्रित अंग्रेजी शराब का निर्माण व बिक्री करने वाले गैंग का भण्डाफोड़ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में अपमिश्रित अंग्रेजी शराब, शीशी, नकली रैपर, ढ़क्कन सहित शराब निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामाग्री बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु तथा महाकुम्भ मेला प्रयागराज-2024, क्रिसमस व नव वर्ष 2025 को सकुशल सम्पन्न कराने, अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों का निर्माण/तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना विन्ध्याचल, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 25.12.2024 को थाना विन्ध्याचल अन्तर्गत राजा गोपालपुर के पास कबाड़ की दुकान में अपमिश्रित शराब निर्माण करने की मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर मौके से 03 नफर अभियुक्तों 1. मोनू सोनी पुत्र सोनकरलाल सोनी, 2. छोटू जायसवाल उर्फ दया जायसवाल पुत्र राम बाबू जायसवाल व 3. मोहन गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। मौके से अवैध/अपमिश्रित अंग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू 49 शीशी, मैक्डावेल 15 शीशी, आइकोनिक 03 शीशी, आरएस 35 शीशी, ब्लेन्डर प्राईडस 04 शीशी (कुल 106 शीशी प्रत्येक 375 एमएल), अलग-अलग अंग्रेजी ब्रांड के 15,375 अदद ढक्कन (काग), अलग-अलग अंग्रेजी ब्रांड के 8,600 अदद बाशर, काग पर प्रिंट करने वाली मशीन व एक अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-263/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग अपने अन्य साथियों की मदद से नकली अपमिश्रित अंग्रेजी शराब का निर्माण करते है तथा खाली शीशियों में भरकर नकली क्यूआर कोड, लेबल व ढ़क्कन लगाकर असली अंग्रेजी शराब के रूप में बिक्री करते है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.मोनू सोनी पुत्र सोनकरलाल सोनी निवासी शिवपुर थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-33 वर्ष।
2.छोटू जायसवाल उर्फ दया जायसवाल पुत्र राम बाबू जायसवाल निवासी सबरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-32 वर्ष।
3.मोहन गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता निवासी लोहदी कला नई बस्ती थाना को0देहात जनपद मीरजापुर,उम्र करीब-29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-263/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस।

बरामदगी विवरण —

अवैध/अपमिश्रित अंग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू 49 शीशी, मैक्डावेल 15 शीशी, आइकोनिक 03 शीशी, आरएस 35 शीशी, ब्लेन्डर प्राईडस 04 शीशी (कुल 106 शीशी प्रत्येक 375 एमएल), अलग-अलग अंग्रेजी ब्रांड के 15,375 अदद ढक्कन (काग), अलग-अलग अंग्रेजी ब्रांड के 8,600 अदद बाशर बरामद।
काग पर प्रिंट करने वाली मशीन व एक अदद मोटर साइकिल हीरो एच.एफ. डीलक्स वाहन संख्या- UP 63 S 5546।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

राजा गोपालपुर के पास कबाड़ की दुकान से, दिनांकः 25.12.2024 को समय 03.06 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष विन्ध्याचल-अमित कुमार मय पुलिस टीम।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय पुलिस टीम।
आबकारी निरीक्षक राजेश क्षेत्र-प्रथम, मीरजापुर।